न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– अजय कुमार सिंह–प्रथम, एच.जे.एस. (UP-2009)
CNR No. -UPHP010040762026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1117 सन 2026

अरकम पुत्र रियाज निवासी मौ0 आदर्शनगर, कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या 116 सन 2026
धारा–109(1), 333, 191(2), 191(3), 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस.
थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

21.05.2026

1. अभियुक्त उपरोक्त, जो अपराध संख्या 116 सन् 2026 धारा 109(1), 333, 191(2), 191(3), 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस., थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा बब्बू द्वारा दिनांक 09.03.2026 को थाना हाजा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि दिनांक 08.03.2026 को समय करीब रात्रि के 08:30 बजे प्रार्थी अपने घर पर था तभी मौके पर अनवार, जुल्फी पुत्रगण कलवा, नदीम, जुबैर, नसीम पुत्रगण अनवार, आमिर पुत्र जुल्फी व हैदर, अरकम पुत्रगण रियाज व 3–4 अज्ञात व्यक्ति समस्त निवासीगण आदर्शनगर गढ़मुक्तेश्वर, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ अपने–अपने हाथों में लाठी–डण्डे व लोहे की रॉड और तमंचा लेकर जबरदस्ती प्रार्थी के घर में घुस गए और गाली देना शुकर कर दिया। प्रार्थी की बेटी हदीशा ने गाली देने को मना किया तो सभी लोग एक राय होकर कहने लगे कि आज इनको जान से मार दो। तभी अनवार ने अपने हाथ में ली हुई लोहे से प्रार्थी की बेटी के सिर पर जान से मारने की नीयत से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे प्रार्थी की पुत्री मौके पर बेहोश होकर जमीन पर गिर गयी और सिर में काफी गंभीर चोटें आई। शोर शराबा की आवाज सुनकर प्रार्थी व शकीला व निशा आ गए, जिसके बाद अरकम ने प्रार्थी के उपर लाठी से हमला किया और जुबैर ने तमंचा दिखाकर कहने लगा अगर कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुम सबको जान से मार दूंगा। सभी लोग एक राय होकर गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त केस में गांव की पार्टीबाजी एवं रजिशन तौर पर झूठा फंसाया गया है, वह बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर किसी भी प्रकार की कोई मारपीट, गाली गलौच या धमकी नहीं दी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन देरी से दर्ज करायी गयी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। कथित घटना में घटना संबंधित कोई आशय एवं कारण भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में इंगित नहीं किया गया है। कथित घटना के संबंध में कोई चश्मदीद साक्षी ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है तथा कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी भी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से मौके से कोई बरामदगी भी नहीं है तथा न ही मौके से गिरफ़्तारी हुई है। आवेदक/अभियुक्त पर महज दबाव बनाने के लिए तथा अपने मुकदमे को रंगत देने के लिए झूठे आरोप एफ0आई0आर0 में लगाए गए हैं। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी व उसके साथ गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डों से मारपीट की, जिससे वादी की पुत्री हदिशा को गम्भीर चोटें

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.05.21 16:42:10 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court, Hapur

आयी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के तर्क एवं उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत केस डायरी का परिशीलन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने हाथों में लिये लाठी–डण्डे व लोहे की राड और तमंचा लेकर जबरदस्ती वादी मुकदमा के घर घुसकर गाली–गलौच करने लगे तथा मना करने पर एकराय होकर वादी मुकदमा की पुत्री हदीशा पर हमला किया तथा सह अभियुक्त अनवार ने अपने हाथों में ली हुई लोहे की राड से वादी मुकदमा की बेटी को जान से मारने की नियत से सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी बेटी को गम्भीर चोटे आयी तथा आवेदक/अभियुक्त ने वादी मुकदमा के उपर लाठी से हमला किया तथा जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। केस डायरी पर उपलब्ध हदीशा की एम.एल.सी. रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर दो चोटें पायी गयी है तथा डॉक्टर द्वारा उक्त दोनों चोटें ठोस व कुन्द हथियार से आना बताया गया है। केस डायरी पर उपलब्ध सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट के अनुसार चुटैल हदीशा को आयी चोटों में से चोट नं0 1 को साधारण प्रकृति की होना बताया है तथा चोट नं0–2 को प्राण घातक होना बताया गया है, परन्तु उक्त दोनों चोटों मजरूबा को सह अभियुक्त अनवार द्वारा पहुंचाये जाने का कथन किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व वादी मुकदमा, स्वतंत्र साक्षीगण व मजरूबा के बयानों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर केवल वादी मुकदमा पर लाठी से प्रहार करने का आरोप है, परन्तु वादी मुकदमा की कोई मेडिकल रिपोर्ट केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में एवं विचारण में समय लगने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत धनराशि पर जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त को अंकन 1,00,000/– एक लाख रूपये की एक जमानत व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को संबंधित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर अविलंब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक 21.05.2026

(अजय कुमार सिंह प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।